पत्रांक :– 7/विविध–1202/2014 का॰ 941 /
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
झारखंड।

राँची, दिनांक 28.1.17

विषय :– झारखंड सचिवालय सेवा के पदधारकों को अन्य सेवा की परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड सचिवालय सेवा के पदधारकों के अन्य सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करने/सम्मिलित होने के निमित्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विभिन्न विभाग/कार्यालयों द्वारा प्रस्ताव भेजे जाते हैं।

2. विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव भेजने के उपरांत इस विभाग द्वारा सचिवालय अनुदेश के नियम – III (V) 3.15 के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने में अनावश्यक विलंब हो जाता है।

3. उल्लेखनीय है कि सचिवालय अनुदेश के नियम – III (V) 3.15 के आलोक में उपर्युक्त अनुमति प्रदान करने निमित्त प्रशासी विभाग/कार्यालय सक्षम प्राधिकार हैं।

4. अतः अनुरोध है कि सचिवालय अनुदेश के उक्त नियम के आलोक में तदहेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने स्तर से निर्गत करने की कृपा की जाय। साथ ही इस अनुदेश से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन,

28/1/17
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।